

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 26 / 2015

दर्ज दिनांक:-04.06.2015

1. रामरतन

पता-

.....प्रार्थी

2. रामकिशन

पता-

.....अप्रार्थीगण

लोकेन्द्रनाथ चतु0

प्रार्थी अभिभाषक  
अप्रार्थी अभिभाषक

**निर्णय**

दिनांक 26.10.2018

वकील वादी उपस्थित बार-बार हिदायत के बाद भी तलवी नहीं कराई गई। कई अवसर दिये जा चुके हैं। दिनांक 29.08.2018 को तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज करने की भी चेतावनी भी दी गई है। किन्तु पालना नहीं की जा रही है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। अतः दावा वादी अन्तर्गत आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर